



Neutral Citation No. - 2026:AHC:58011

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या - 2543/2026

शाही प्रकाश वर्मा @ अंबुज वर्मा

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता

:

मैरी पुंचा (शीब जोस), मोहम्मद कलीम

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्याय कक्ष संख्या-72

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद कलीम और राज्य के लिए शासकीय अधिवक्ता श्री उमा शंकर मिश्रा को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।

2. यह आवेदन प्रयागराज जिले के फूलपुर पुलिस थाना में धारा 137(2), 76 भारतीय न्याय संहिता और 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम अधिनियम के तहत मुकदमा संख्या 415/2025 में अग्रिम जमानत के लिए दायर किया गया है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में अपीलार्थी को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थी का नाम नहीं है, और जांच के दौरान उसका नाम सामने आया है। यह भी बताया गया है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 180 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान में भी उसका नाम नहीं है। हालांकि, यह आरोप है कि अपीलार्थी और सह-आरोपी लल्लू ने पीड़िता को निर्वस्त्र करके उसका यौन उत्पीड़न किया। आगे यह भी बताया गया है कि चुनाव और ग्राम पार्टी बंदी के कारण अपीलार्थी को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी बताया गया है कि अपीलार्थी मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और जांच संस्था या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर वह उपस्थित होगा। यह कहा गया है कि यदि अपीलार्थी को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और जांच में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान में अपीलार्थी का नाम सामने आया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रथम सूचक को नोटिस पहले ही तामील किया जा चुका है। यह भी ध्यान दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थी का नाम नहीं था, और भारतीय न्याय संहिता की धारा 180 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान में भी उसका नाम नहीं आया। हालांकि, भारतीय न्याय संहिता की धारा 183 के तहत दर्ज बयान में उसका

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



नाम सामने आया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी और सह-आरोपी लल्लू ने पीड़िता को निर्वस्त्र करके उसका यौन उत्पीड़न किया।

5. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय न्यायालय को अभियोग की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

6. इस मामले में, अग्रिम जमानत के संबंध में स्थापित कानूनी सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, अपीलार्थी की भूमिका और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

7. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. उपरोक्त मामले में अपीलार्थी शाही प्रकाश वर्मा उर्फ अंबुज वर्मा की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे 2000 रुपये के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। 50,000/- रुपये की जमानत राशि के साथ दो जमानती, प्रत्येक जमानत राशि इतनी ही राशि की, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

(i) अपीलार्थी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और संबंधित न्यायालय द्वारा छूट दिए जाने तक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा;

(ii) अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) अपीलार्थी मुकदमे के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) अपीलार्थी संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

9. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष अपीलार्थी को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

17 मार्च, 2026

नीतू

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"